



कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम, पटना अन्तर्गत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पर शिक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही के मद सं०-07 में सम्यक रूप से निर्णयोपरान्त अमरेन्द्र कुमार, माध्यमिक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, इन्द्र प्रसाद सिंह गंगास्थली बालिका ज्ञानपीठ, मखदुमपुर दीघा, पटना का स्थानान्तरण द्वारका, उच्च विद्यालय, मंदिरी, पटना के स्वीकृत बल के अन्तर्गत रिक्त पद पर किया जाता है।

स्थानान्तरण संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर किया गया है, इसमें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित शिक्षक को निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान की सूचना जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

R.Kumar Ag
21-09-2020 21/09/2020

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।

- प्रतिलिपि:-
1. संबंधित शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 2. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्र०प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 3. जिला कार्यक्रम पदा०, (स्था०) जिला शिक्षा कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 5. माननीय महापौर, पटना नगर निगम, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

R.Kumar Ag
21-09-2020 21/09/2020

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम।